2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which promotion is considered) — Member and 3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank —Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering conformation) consisting of :—** 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group —Chairman 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which confirmation is considered) —Member, and 3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank —Member	

[F. No. A-12018/1/2015-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 232.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष (समूह 'क' राजपत्रित) & पुस्तकालयाध्यक्ष (समूह 'ख' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1971, विदेश मंत्रालय (वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1987 और विदेश मंत्रालय के इतिहास प्रभाग (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1969 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय एवं सूचना संवर्ग में निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना), पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

   i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय, निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना), पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक भर्ती नियम, 2018 है।

   ii. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू किया जाना.—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर अथवा वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हता.—**कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना)	01*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 रुपये 123100-215900

चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रान्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति

(11)
संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो-

1. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या

   (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 रुपये 78800-209200 वाले या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

2. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :-

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत किसी पुस्तकालय में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

i. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों के कंप्यूटरीकरण में एक वर्ष का अनुभव; या

(ii) पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए दस्तावेजों या सूचना की इंडेक्सिंग, सारबद्ध करने और पुनः प्राप्ति में एक वर्ष का अनुभव; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा; या

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी के अलावा एक या दो विदेशी भाषाओं में छह माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

टिप्पणी 1 : वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 रुपये 67700-208700 में विभागीय पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, जिन्होंने ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की है और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और जो प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, के नाम पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा, और यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	01*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनानुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 रुपये 67700-208700	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	पदोन्नत अधिकारियों के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 रुपये 44900-142400 वाले पदों पर 7 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री रखते हों और जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पणी : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि की आधी हो या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो-

1. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या

   (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 रुपये 44900-142400 वाले पदों पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

2. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :-

3. **अनिवार्य :**

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत किसी पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

वांछनीय :

(i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों के कंप्यूटरीकरण में एक वर्ष का अनुभव; या

(ii) पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए दस्तावेजों या सूचना की इंडैक्सिंग, सारबद्ध करने और पुनः प्राप्ति में एक वर्ष का अनुभव; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा; या

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी के अलावा एक या दो विदेशी भाषाओं में छह माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

टिप्पणी 1 : प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	03*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 रुपये 44900-142400

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 रुपये 35400-112400 वाले पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पणी : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि की आधी हो या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो-

1. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या
   (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 रुपये 35400-112400 वाले या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
2. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :-

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी के अलावा एक या दो विदेशी भाषाओं में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम कम से कम 6 माह की अवधि; या

(iv) किसी मान्यताप्राप्त पुस्तकालय से पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए दस्तावेजों या सूचना की इंडैक्सिंग, सारबद्ध करने और पुनः प्राप्ति में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1 : प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. निदेशक (नीति आयोजना एवं अनुसंधान)/उपसचिव (नीति आयोजना एवं अनुसंधान) - सदस्य 3. निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	06*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 रुपये 35400-112400

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पणी 1 :** (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) **टिप्पणी :** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या

	तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति ज़िले और चम्बा जिले का पांगी उपमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अधिवास करने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं) ।	विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी के अलावा एक या दो विदेशी भाषाओं में छह माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम । **टिप्पणी I** : यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हक हैं तो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अपने विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दे सकता है । **टिप्पणी II** : यदि चयन के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग यह समझता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं होंगे तो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अपने विवेकानुसार इन उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हताओं में छूट दे सकता है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक की अवधि तक पद पर न रहने के कारण रिक्त पदों को केन्द्र सरकार के उन अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और कालम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं रखते हों।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:- 1. संयुक्त सचिव (नीति आयोजना एवं अनुसंधान) - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन) - सदस्य 3. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. क्यू/सी ए डी/798/05/2016]

अमित कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभाग)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd July, 2018

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs Chief Librarian (Group 'A' Gazetted) & Librarian (Group 'B' Non-gazetted) Recruitment Rules, 1971, the Ministry of External Affairs (Senior Librarian) Recruitment Rules, 1987 and the Historical Division of the Ministry of External Affairs (Assistant Librarian) Recruitment Rules, 1969 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Director(Library and Information), Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant in the Library and Information Cadre of the Ministry of External Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Director(Library and Information), Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale.—**The number of posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification:—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director (Library and Information).	01* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non – Ministerial.	Level 13 in the pay matrix Rs.123100-215900.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	By composite method: Deputation (Including Short Term Contract) plus promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Composite method: Deputation (Including Short Term Contract) plus promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in posts in level 12 in the pay matrix Rs.78800-209200 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential:-** (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; (ii) ten years' experience in a Library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution. **Desirable:-** (i) One year experience of computerising library activities in a Library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution; or (ii) one year experience of indexing, abstracting and retrieval of documents or information using library management software; or (iii) diploma in Computer Application from a recognised University or institute; or (iv) certificate course of six months duration in one or two foreign languages other than English from a recognised University or Institute. **Note 1:** The departmental Library and Information Officer in level 11 in the pay matrix Rs.67700-208700 with ten years' of regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in the field of Library and Information Science and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders, and if the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years'. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Library and Information Officer.	1* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non – Ministerial.	Level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700.

(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation including short-term contract

(11)

Promotion:

Assistant Library and Information Officer in level 7 in the pay matrix Rs.44900-142400 with seven years' regular service in the grade possessing Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute and have successfully completed two weeks training in the field of Library Science or Library and Information Science.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research Institutions, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with seven years regular service in posts in level 7 in the pay matrix Rs.44900-142400; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:-

(i) Masters Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute;

(ii) five years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution.

Desirable:

(i) One year experience of computerising library activities in a library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution; or

(ii) one year experience of indexing, abstracting and retrieval of documents or information using library management software; or

(iii) diploma in Computer Application from a recognised University or Institute; or

(iv) certificate course of six months duration in one or two foreign languages other than English from a recognised University or Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term

contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman (2) Joint Secretary (Administration) – Member (3) Director (Library and Information) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

(1)	(2)	(3)
3. Assistant Library and Information Officer	3* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non – Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level 7 in the pay matrix Rs.44900-142400	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion** Library and Information Assistant in level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400 with five years' regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in the field of library and information science. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research institutions - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in posts in level 6 in the pay matrix Rs.35400 -112400 or equivalent; and

	(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential:-** (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution. **Desirable:-** (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; or (ii) diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute; or (iii) certificate course of six months duration in one or two foreign languages other than English from a recognised University or Institute; or (iv) one year experience of indexing, abstracting and retrieval of documents or information using library management software from a recognised Library. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Joint Secretary (Administration) – Chairman (2) Director (Policy Planning and Research) / Deputy Secretary (Policy Planning and Research) – Member (3) Director (Library and Information) – Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)
4. Library and Information Assistant	06* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non – Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400	Not applicable	Not exceeding thirty years **Note 1:** (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution. **Desirable:** (i) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute; or (ii) certificate course of six months duration in one or two foreign languages other than English from a recognised University or Institute. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Secretary (Policy Planning and Research) – Chairman (2) Director (Administration) – Member (3) Library and Information Officer – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. Q/CAD/798/05/2016]

AMIT KUMAR, Jt. Secy. (AD)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम 1991, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता- वह व्यक्ति.**—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।